

South West Pinnacle

ISO 9001 : 2015 Certified Company

South West Pinnacle Exploration Limited

(formerly known as South West Pinnacle Exploration Pvt. Ltd.)

CIN No.: L13203HR2006PLC049480

Regd. Office : 522, 5th Floor, DLF Galleria,
Commercial Complex, DLF City Phase - IV
Gurugram, Haryana-122009

Corporate Office : Ground Floor, Plot No. 15,
Sector-44, Gurugram - 122 003

(T) : +91 124 4235400, 4235401

(F) : + 91 124 4235402

(E) : info@southwestpinnacle.com

(W): www.southwestpinnacle.com

Date: 25.05.2022

To,

Manager,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051

Symbol: SOUTHWEST

Subject: Submission of Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of Newspaper Advertisement of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter & year ended on March 31, 2022 published in the **"THE FINANCIAL EXPRESS"** (English Edition) and **"HARIBHOOMI"** (Hindi Edition) dated May 25, 2022.

This is for your information and records.

Thanking You,

For South West Pinnacle Exploration Limited

Vaishali
Vaishali
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above

Form No. INC-26
 Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, New Delhi
 In the matter of the Companies Act, 2013, section 13(4) of Companies Act, 2013 and rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
 In the Matter of M/s Nikky Tasha Energies Private Limited having its Registered Office at 155, Upper Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-3, New Delhi-110020, Applicant

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 09 May 2022 to enable the company to change its Registered office from the Union Territory of Delhi to the State of Haryana.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections accompanied by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Delhi at his office address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

For and on behalf of the Applicant
 Rajeev Khanna - Director
 DIN:08471497
 Complete address of registered office: 155, Upper Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-3, New Delhi-110020
 Date: 25.5.2022 Place: New Delhi

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN
 Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services)
2nd Floor, Paras Tower, Majra, Niranjanpur Saharanpur Road, Dehradun
IN O.A. No. 476 OF 2021
PUNJAB NATIONAL BANK V/S SH. SANKALP CHHAHRA & ORS
Date : 06.05.2022
Serial No. 10
Present: Sh. Swaran Singh, Counsel for the Applicant Bank
 Called out. Ld. Counsel of the Applicant Bank present and prayed for attachment of Flat No.203 of EBRO Tower, Bock-D, Mmxare Rivera, Pant Nagar Tehsil Kichha , Dist. U.S. Nagar which is auctioned by SBI for Rs. 38 Lacs and loan was sanctioned for Rs. 25 Lac as per version of Applicant Bank. The Applicant Bank has also prayed for attachment of House No.3/143 Sankalp Bhawan, Civil Line Gurnakpurna, Haldwani , Nainital in the name of Defendant No.1 as per version of the Applicant Bank the property was in the ownership of the borrower at the time of sanction of loan, but now Applicant Bank has not acquainted about the present status of the property. It is the duty of every person who seeks relief should clear the actual situation before the forum, from which he wants relief.
 As per circumstances of the case before clear status of the property in relation to House No.3/143 Sankalp Bhawan, Civil Line Gurnakpurna, Haldwani, Nainital whether today the property is in possession with the ownership of the borrower or not? the Ld. Counsel for the Applicant Bank has no knowledge.
 The property purchased in auction by borrower Flat No.203 of EBRO Tower, Bock-D, Mmxare Rivera, Pant Nagar Tehsil Kichha , Dist. U.S. Nagar may attached as per version of the Applicant Bank, the value of the property at the time of purchaser by the borrow in auction was Rs. 38 Lac and the loan amount as per Applicant Bank is Rs. 26,29,9330/- for the above properties attachment before Judgment is allowable, hence allowed and attached.
 The borrowers are directed not to create any right, title and interest in favour of any other person. The Applicant Bank is also directed to send the copy of the order to the borrowers as well as purchaser in two newspaper one in English and one in Hindi circulation in the area in routine for the awareness of the public in general.
 If House No.3/143 Sankalp Bhawan, Civil Line Gurnakpurna, Haldwani, Nainital is in possession with the ownership of the borrower, the borrower is restrained f creating any right, title and interest in favour of the third person, but in case the property at the time of passing this order is not in possession with ownership of the borrower the third party or any other person shall not be bound by this order.
 Let, notice be issued to Defendants inviting reply, if any. The Applicant Bank is directed to take steps for issuance and service of summon along with complete paper-book upon Defendants by Registered AD Cover/Speed Post AD Cover/Dasti Mode/Dasti mode against acknowledgment. The Applicant Bank is further directed to file proof of service of both mode including Tracking Report of Postal Authority and personal acknowledgment along-with affidavit before the date fix.
 List this matter before Ld. Registrar on 28.07.2022 for appearance & completion of pleadings. Thereafter, list before the Tribunal for further consideration.

(Umesh Kumar Sharma)
 Presiding Officer DRT, Dehradun

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN
 Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services)
2nd Floor, Paras Tower, Majra, Niranjanpur Saharanpur Road, Dehradun
SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE
IN O.A. No. 476 OF 2021.

FORM NO. URC 2	
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act [Pursuant to section 374 (b) of the Companies Act, 2013 and rule 41 (1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]	
1.	Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days elapsing but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Center (CRC) that CHAYAN ENTERPRISES LLP , a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.
2.	The principal objects of the company are as follows: To carry on the business of consultants, placement, recruitment, security services, HR consultancy, payroll services, manpower supply, housekeeping, management consultants, sales and sanitary services and consultants in various fields and to carry on the business of renting of godown, hiring of machines, loading and unloading.
3.	A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 16/14, 1st Floor, WEA, Karol Bagh, Delhi-110005.
4.	Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar, Central Registration Center (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6/7,8 Sector 5, IIT Manesar, District Gurgaon (Haryana)- 122050 within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.
Dated this : 25.05.2022	
Sd/-	Sd/-
1. Atul Singh	2. Suchi Singh
"IMPORTANT"	
Whilst care is taken prior to advertisement copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage suffered by persons entering into any agreements with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.	

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 as amended (from time to time)

Dy. No. : 292 Date : 07.05.2022

PUNJAB NATIONAL BANK V/S SH. SANKALP CHHAHRA & ORS

To,

1. **Sh. Sankalp chhabra S/o Sh. Dharam Singh Chhabra**, 3/143, Sankalp Bhawan, Civil Lines, Gurunankpura, Haldwani Distt. Nainital (Uttarakhand) 263139 **Second Address:** Flat No. 203, II Floor, EBRO-D Tower, Omaxe Riviera, Rudrapur, U.S. Nagar, Uttarakhand 247903.

2. **Mrs. Raman Kaur W/o Sh. Sankalp chhabra**, 3/143, Sankalp Bhawan, Civil Lines, Gurunankpura, Haldwani Distt. Nainital (Uttarakhand) 263139 **Second Address:** Flat No. 203, II Floor, EBRO-D Tower, Omaxe Riviera, Rudrapur, U.S. Nagar, Uttarakhand 247903.

3. **Sh. Amandeep Singh S/o Sdr Kesar Singh**, No. 50- Dashmesh Nagar, Avas Vikas, Rudrapur, Uttarakhand 263153.

Whereas, **OA No. 476 of 2021** was listed before the Hon'ble Presiding Officer on **06.05.2022**.

Whereas, this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summon Notice on the said Original Application under section 19(4) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993. (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 26,29,933.00** (A copy of Original Application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act you, the Defendants are directed as under:-

i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application. pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement within 5 physically front the date of the service of summon in terms of Sec-19(5)(i) of RDB Act, 1993 read with Rule 12(1) of the DRT (Procedure) Rules, 1993 with a copy thereof furnished to the applicant Bank and to appear before the Tribunal of **28/07/2022** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand & seal of this Tribunal on this date **7th day of May, 2022**

By order of Tribunal

Registrar
Debt Recovery Tribunal, Haldwani


For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214
 financialexpress.in
 

 New Delhi
 

एल्बम शूट करने के बहाने की हरियाणावी सिंगर संगीता की हत्या

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

म्यूजिक एल्बम शूट करने के लिए हरियाणवी सिंगर संगीता उर्फ दिव्या को दिल्ली से रोहतक लेकर गए उनके दोस्तों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारों ने उनके शव को रोहतक के महम इलाके में सड़क किनारे दफना भी दिया। पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम रवि और अनिल है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, संगीता के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत

- पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा, शव भी किया बरामद
- दिल्ली से रोहतक ले जाकर दिया वारदात को अंजाम
- जाफरपुर कलां थाना इलाके का मामला

जाफरपुर कलां थाने में दी थी। पुलिस ने टैक्निकल सर्विलांस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीसीपी (द्वारका) शंकर चौधरी के अनुसार, परिजनों ने संगीता के लापता होने की शिकायत



पुलिस को दी थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गत 11 मई को उनके घर एक युवक आया था। इसके बाद संगीता उसके साथ चली गई। इसके बाद से ही वह लापता है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला

दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस को पता चला कि कई दिनों से संगीता का मोबाइल फोन भी बंद जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने संगीता के फोन को ट्रैस पर लगा दिया। जैसे ही आरोपियों ने मोबाइल फोन चालू

पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप
परिवार का आरोप है कि आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस परिवार को गुमराह करती रही। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। पीड़ित परिजनों का कहना है आरोपियों ने संगीता की हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी की। उसके सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं। इस घटना को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को ट्वीट कर कहा एक बेटी गत 11 मई से दिल्ली के जाफरपुर से लापता थी, कल उसका शव रोहतक में दफना मिला था।

किया तो पुलिस को आरोपियों का कत्ल मिल गया। इसके बाद पुलिस ने टीम ने गुप्त सूचना के बाद दोनों आरोपियों को महम से पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने उनकी निशानदेही पर संगीता का शव भी बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का

मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने संगीता के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। दोनों आरोपी 22 मई को गिरफ्तार किए गए थे।

भीम आर्मी ने किया परिवार के साथ मिलकर प्रदर्शन
हत्या की घटना सामने आने के बाद परिवार संगीता का शव भीम आर्मी के साथ लेकर जाफरपुर कलां थाने पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शन किया। तेज बारिश के बाद भी पीड़ित परिवार के लोग वहां डटे रहे। पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें समझाया और वहां से हटाया।

आरोपी रवि पर दर्ज कराया था दुष्कर्म का मामला
जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी रवि, संगीता का पहले से दोस्त था। संगीता ने रवि पर दुष्कर्म का केस भी दर्ज करवा रखा था। आरोपी हरियाणा महम इलाके के रहने वाला है और बजाज फाइनेंस कंपनी में काम करता है। वहीं, रवि का आरोप है कि संगीता उसके ब्लैकमेल कर रही थी। इसी के चलते उसने उसकी हत्या कर दी।

डीसीडब्ल्यू ने पुलिस को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने मंगलवार को दिल्ली से लापता लड़की का शव रोहतक में मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। डीसीडब्ल्यू ने पुलिस को 27 मई 2022 तक पुलिस को जानकारी देने को कहा है।

खबर संक्षेप

ट्रक में कार ने मारी टक्कर, एक की मौत
नई दिल्ली। शालीमार बाग थाना इलाके में वजीरपुर फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दीपक गुलाटी (31) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल राजा उर्फ शहजाद (38) का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीसीपी (नॉर्थ-वेस्ट) उषा रंगनानी के अनुसार, शालीमार बाग थाना पुलिस को वजीरपुर फ्लाईओवर पर सड़क दुर्घटना के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस तुरंत दोनों को लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि कार वजीरपुर की ओर से प्रेम बाड़ी पुल की तरफ आ रही एक कार ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। आगे जांच में पुलिस को पता चला कि दीपक गुलाटी और राजा दोनों उत्तम नगर के रहने वाले हैं।

निगम ने जारी किया एक माह का वेतन
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने अपने कर्मियों को एक माह का वेतन जारी कर दिया है। निगम प्रशासन ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि साथ ही निगम के पेंशन धारकों की एक माह की पेंशन भी जारी की गई है। 432.84 करोड़ रुपये का फंड कर्मियों के वेतन व पेंशन के लिए उपलब्ध कराया गया। वेतन व पेंशन जारी होने के बाद कर्मियों में खुशी की लहर बताई गई है, वे हर्षित व राहत महसूस कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम वित्तीय चुनौतियों के बावजूद कुशल प्रबंधन द्वारा कर्मियों के वेतन व पेंशन की बकाया राशि भी शीघ्र ही जारी करेगा। दिल्ली नगर निगम अपने कर्मियों के हितों के लिये सदैव प्रयासरत है और उनके कल्याण के लिए तत्पर है।

आपसी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम

कारोबारी को गोलियों से भूना

हरिभूमि न्यूज►► नई दिल्ली

कृष्णा नगर थाना इलाके में आपसी रंजिश के चलते तीन बदमाशों ने एक दूध कारोबारी को गोलियों से भून दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके से फरार हो रहे बदमाश जैसे ही शकरपुर टी-ज्वाइंट पर गलत दिशा से पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रूकने का इशारा किया। इस पर बदमाश वहां से भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान उनकी स्कूटी फिसल गई। स्कूटी फिसलते ही तीनों बदमाश नीचे गिर गए। मौके से दो बदमाश फरार हो गए, जबकि पुलिस ने एक को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम गौरव अरोड़ा है। वहीं, पुलिस ने घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू (32) है। पुलिस ने आरोपी गौरव के पास से रिवाल्वर, पांच कारतूस, एक देशी कट्टा व स्कूटी बरामद की है। पुलिस उससे पूछताछ कर फरार आरोपी प्रिंस अथवा व विकास पांचाल की तलाश कर रही है।

वर्क फ्रॉम होम के नाम पर टगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

नॉर्थ जिले के साइबर थाना पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर बेरोजगार नौजवानों से टगी करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के नाम तुषार कुमार उर्फ ऋतविक (20) और मो. अकरम अली (22) हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी तुषार ने गूगल प्ले स्टोर पर एक एप 'FREELANCER.COM' डाला हुआ था। इस एप में दावा

आरोपियों ने प्ले स्टोर एप पर बनाई थी एप्लीकेशन
करने के लिए एप पर कम से कम रुपयों में काम प्राप्त करने की बोली लगाई जाती थी। सबसे कम बोली वाले शख्स से संपर्क कर उसे अलग-अलग मदों में रुपये पेंड किए जाते थे। आरोपी अभी तक सैकड़ों लोगों से टगी कर चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से एक लैपटॉप, नौ मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 12 पहले से एक्टिवेट सिम कार्ड, 30 नॉन एक्टिवेटेड सिम, बायोमेट्रिक

फिंगर डिवाइस और एक कार भी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीसीपी सागर सिंह कलसी के अनुसार, पिछले दिनों उनको गृह मंत्रालय के साइबर फ़्राइड पोर्टल के जरिये बुराई निवासी एक युवती ने टगी की शिकायत दी। उसने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसने यू-ट्यूब पर एक वीडियो देखी। वीडियो में यूके आधारित कंपनी के एप फ्रीलांसर डॉट कॉम के जरिये घर बैठे ही रुपये कमाने

का दावा किया गया था। इसके बाद उसने यह एप डाउनलोड की। एप डाउन लोड करने के बाद अपनी पसंद के काम को चुनने के बाद पीड़िता से काम के बदले रुपयों की बोली लगाने के लिए कहा गया। पीड़िता ने बोली लगा दी। उसे काम मिल गया और उसने काम पूरा भी कर दिया। इसके बाद उसके पास एक ईमेल और मोबाइल पर कॉल आई। आरोपियों ने पीड़िता से काम के बदले रुपये लेने के लिए कुछ पैसे की डिमांड की।

पहचान की अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक मृतक व्यक्ति जिसका नाम : नामालूम, पिता : नामालूम, पता: नामालूम, उम्र : 26 साल, कद : 165 सेंटीमीटर, रंग : सांबला, लिंग : पुरुष, शरीर : पतला, चेहरा: अण्डाकार, बाल: काले, पहनावा : क्रीम कलर का शर्ट और नीले रंग का पैंट। जो कमरा नं.51, गेट नं.3, जीटीबी अस्पताल के पास अचेता अवस्था में मिला जिसको एमएलसी सं. ई3130 / 22 पर जीटीबी अस्पताल में दाखिल हुआ था जिसकी इजाल के दौरान 9.05.2022 रात 8.00 बजे मृत्यु हो गई थी। इस संदर्भ में डी. डी. नं. 0144-ए, दिनांक 20.05.2022 को थाना जीटीबी एन्कलेव, दिल्ली में दर्ज है। पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस मृतक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक व्यक्ति के बारे कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

थानाध्यक्ष
थाना : जीटीबी एन्कलेव, दिल्ली
फोन: 7065036031,9873322997
DP/838/SHD/2022

1500 से 2000 रुपये में बेचते थे चोरी की बाइक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, छह अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें चोरी का माल खरीदने वाले रिसीवर भी शामिल हैं। इनके पास से चुरथी गई बाइक के 207 इंजन और 7 चेंसिस बरामद हुई हैं। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने वाहन चोरी के 67 केस सुलझाने का दावा किया है। गिरफ्तार किये गये आरोपियों के नाम अकरम (22), जोराद (32), फुरकान (40), हरिओम (34), शाहिद अहमद (28) व नदीम (30) हैं। पुलिस पूछताछ में इन्होंने कबुला कि महज 1500 से 2000 रुपये में ही चोरी की बाइक को बेच देते थे। डीसीपी रोहित मीणा के अनुसार वाहन चोरी की वारदातों को लेकर एक टीम लंबे समय से जांच में जुटी थी। इस बीच 19 मई को सूचना मिली कि कुछ बदमाश ए ब्लॉक सूरजमल विहार मार्केट में बाइक चुराने के इरादे से आने वाले हैं। पुलिस टीम ने ट्रैप लगाकर रात करीब आठ बजे एक रेखां के नजदीक संधिध घूम रहे युवक को पकड़ा। इसने पूछताछ में बताया कि

■ आरोपियों में चोरी का माल खरीदने वाले भी शामिल
सभी दुकानों में छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स, टायर, टैंक व अन्य सामान भरा हुआ था। पुलिस ने इन दुकानों को आगे की जांच तक के लिए सील कर दिया है। बाद में फुरकान की निशानदेही पर तीन स्टैप डीलर शाहिद, हरिओम और नदीम को उनकी दुकानों से अरेस्ट किया गया। ये वेलकम और गोकुलपुरी में दुकान करते हैं जहां से पुलिस ने अन्य इंजन और पुराने पार्ट्स बरामद किए।
मिडिल मैन की मदद से ठिकाने लगाते थे वाहन
यह मैन बाइक चोरी करने के बाद मिडिलमैन के माध्यम से उन्हें ठिकाने लगाते थे। मिडिल मैन की भूमिका अढ़ा करने वाला शख्स कबाडियों के संपर्क में रहता था। आगे जांच में खुलासा हुआ कि वाहन चोर महज एक बाइक को पंद्रह सौ से दो हजार कीमत में मिडिल मैन को बेच देता था। आगे मिडिल मैन उस बाइक को साढ़े तीन से चार हजार रुपये में कबाड़ी को बेचता था। बाद में वह कबाड़ी बाइक के पुर्जे अलग अलग कर उन्हें बाइकों ऊंचे दाम पर बेचता था।
वह वाहन चोरी करने वाले गैंग का हिस्सा है। बीते एक महीने में ही सौ से ज्यादा वाहन चोरी कर चुका है। इसके बाद पुलिस ने जावेद को चौहान बांगर सीलमपुर स्थित उसके घर से पकड़ा। जावेद मोटर मैकेनिक है और उस पर चार केस दर्ज थे। पुलिस ने जावेद और सबसे पहले पकड़े गए अजीम ने पूछताछ की।
फिर इनकी निशानदेही पर चोरी की बाइक खरीदने वाले फुरकान को दबोचा। फुरकान डीडीए टायर मार्केट गोकुलपुरी में स्पेयर पार्ट्स की दुकान करता है। इस दुकान की तलाशी लेने पर पुलिस ने सौ से ज्यादा बाइक के इंजन और इंजन ब्लॉक, छेड़छाड़ करने वाले टूल्स आदि बरामद किए।

South West Pinnacle

साउथ वेस्ट पिनकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड

CIN- L13203HR2006PLC049480, Email ID: secretarial@southwestpinnacle.com

पंजी. कार्यालय : 522, पांचवां तल, डीएलएफ गैलरिया कर्मशियल कॉम्प्लेक्स, डीएलएफ सिटी फेज-IV, गुरुग्राम-122009

कार्या. कार्यालय : भू-तल, प्लॉट नं. 15, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु स्टैंडअलोन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन				समेकित			
		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.12.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.12.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	3510.21	3088.92	3496.34	11786.35	10233.09	3510.22	3088.92	11786.35
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	613.90	397.42	360.34	1641.92	1369.30	594.86	396.83	1523.94
3.	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद) मद और/अथवा मद असाधारण मदों/जैवी का लाभ अथवा हानि	613.90	397.42	360.34	1641.92	1369.30	600.32	388.63	1506.21
4.	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	440.44	305.99	267.30	1216.13	1052.56	438.47	297.20	1092.02
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	431.80	313.14	277.68	1236.28	1089.35	429.83	304.35	1112.27
6.	इक्विटी शेयर कैपिटल	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24	2790.24
7.	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	8168.30	6967.55	-	-	7703.25
8.	अर्जन प्रति शेयर (₹. 10/- प्रत्येक के) (निरंतर प्रचालनों हेतु)	1.58	1.10	0.96	4.36	3.77	1.57	1.07	3.91
	बैलेंस :	1.58	1.10	0.96	4.36	3.77	1.57	1.07	3.91
	डायरेक्टरी :	1.58	1.10	0.96	4.36	3.77	1.57	1.07	3.91

टिप्पणी :

1. उपरोक्त परिणाम सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। स्टैंडअलोन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात (www.nseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट (www.southwestpinnacle.com) पर उपलब्ध है।

2. पूर्ववर्ती वर्ष / तैमाहिक आंकड़े आवश्यकतानुसार रिव्यूड / रिविज्ड कर लिये गये हैं।

3. 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु परिणाम कम्पनी मामलों का मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार भारतीय लेखा मानकों (IND-AS) के अनुपालन में है।

4. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई, और 23 मई 2022 को आयोजित इसकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये और रिकार्ड पर लिये गये।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 23 मई, 2022